न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शिव, जिला–बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : श्री यक्ष चौधरी (आई.ए.एस)

राजस्व आवेदन संख्या : 58/2024

क्रमांक/आवेदन/2025/4395 दिनांक : 25.03.2025

प्रार्थीगण	**विप्रार्थीगण**
डाउराम पुत्र भींयाराम, जाति जाट, निवासी धुण्धवालों की ढाणी, तहसील शिव, जिला बाडमेर	गेनाराम पुत्र उदाराम, वगैरा (04)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

–:: आदेश ::–

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी आवेदन पर प्रार्थीगण अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक कानासर को प्रार्थीगण की मौजा धुण्धवालों की ढाणी तहसील शिव में अवस्थित खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 517/458 रकबा 24.5644 हैक्टेयर विवादित भूमि को वर्तमान सर्वेक्षण मानचित्रों के आधार पर एवं लैण्ड रेकार्ड्स रूल्स, 1957 के नियम 34 (3) की प्रक्रिया अपनाते हुए भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर पालना प्रतिवेदन 15 दिवस में भिजवानें हेतु 500/– रूपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। निरीक्षक भू–अभिलेख कानासर बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें।

उपखण्ड अधिकारी
शिव, जिला–बाड़मेर

क्रमांक :– आवेदन/2025/4396 - 4400 दिनांक :– 25.03.025

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ –

1. तहसीलदार **शिव** को सुचनार्थ।
2. भू–अभिलेख निरीक्षक **कानासर** को पालनार्थ।
3. हल्का पटवारी **काश्मीर** को भेजकर लेख है कि भू–अभिलेख निरीक्षक कानासर द्वारा निर्धारित तिथि को मय रिकार्ड मौके पर उपस्थित होकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. प्रार्थी डाउराम पुत्र भींयाराम को सूचनार्थ।
5. विप्रार्थीगण गेनाराम पुत्र उदाराम वगैरा (04) को सूचनार्थ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.06.02 13:59:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिव, जिला–बाड़मेर